

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... गुलकारी बनाम श्री केशी कुमार
 किस्म मुकदमा 225 मु. नं० 27 वर्ष 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र
13-3-18	<p>अपील दर्ज रजिस्टर हो। भिमाद का विन्दू रिजल्ट देखा। स्वयं प्रार्थना पत्र पर अकील कपीलॉट को सुना गया। अकील कपीलॉट ने निवेदन किया कि अदालत मातहत में दिनांक 2-11-15 को एक पक्षीय आदेश पारित किया जिसको आज दिनांक तक अन्तिम रूप से निर्णित न कर आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है जबकि कानून आदेश 39 नियम 3 के अनुसार 30 दिन के अन्दर अन्तिम रूप से निर्णय किया जाना चाहिए। विवाद भूमि का कपीलॉट रेकार्ड रवाते दार है जिसको कानूनन पालन नहीं किया जा सकता। अतः प्रा० पत्र स्वयं स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय की क्रियावृत्ति को स्वयं चलाया जाये।</p> <p>अतः अदालत मातहत के निर्णय का अन्तिम रूप किमा गया। अदालत मातहत में अपील आदेश एक पक्षीय जारी कर आदेश 39 नियम 3 के CPC की पालना न कर आदेश को आगे से छोड़ा गया। यह आदेश अन्तिम आदेश है इस कारण हम अपील को इसी स्तर पर स्वीकार कर रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं।</p> <p>अतः कपीलॉट कपीलॉट को स्वीकार की जाकर पुनः अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पुनः</p>

